IN THE COURT OF Spl. Judge. Excise Court No.-II, KAIMUR AT BHABUA

Anticipatory Bail Petition N0. 576 of 2026

1. Shalu Singh @ Shalu Kumar S/o Putul Singh @ Manistar Singh, 2. Mallu Chaubey @Avishek Chaubey S/o Devendra Chaubey & 3. Rishu Kumar @ Rishu Singh S/o Pappu Singh @ Ashok Singh All R/o Vill.- Bheriya, P.S.- Durgawati, Distt.- Kaimur (Bhabua) -----------Petitioners.

Vers. State of Bihar

(Arising out of Durgawati P.S. Case No. 63 of 2026)

05.05.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत का आवेदन आवेदकगण **1.शालू सिंह उर्फ शालू कुमार, 2. मन्लू चौबे उर्फ अभिषेक चौबे वं 3. ऋषु कुमार उर्फ ऋषु सिंह** की ओर से दाखिल किया गया है, जो **दुर्गावती थाना काण्ड** सं0–63/2026 ***धारा 30(a) बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022*** के अपराध में अपनी गिरफ्तारी के भय से आशंकित हैं। अग्रिम जमानत के विन्दु पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विद्या कुमार पाण्डेय एवं सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री निशीकांत निलेश को सुना तथा पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण बिल्कूल निर्दोष है, उनका इस मामले की घटना से अथवा मौके से गिरफ्तार अभियुक्त से कोई संबंध नहीं है। वे न तो घटना स्थल से पकड़े गये है और न हीं उनके सचेतन कब्जे से कोई अवैध शराब की बरामदगी हीं की गई है। इनका कथन है कि आवेदक सं0–1 एवं 3 के विरूद्ध संयुक्त रूप से एक मामला दुर्गावती थाना काण्ड सं0–08/2026 एवं आवेदक सं0–3 के विरूद्ध अलग से दुर्गावती थना काण्ड सं0–78/2026 दर्ज है, जो दोनों वाद बी0एन0एस0 की धाराओं के अंतर्गत का है, जिसमें वे जमानत पर है। आवेदकगण पर अन्य कोई मामला दर्ज नहीं है। वर्तमान मामले में आवेदकगण के निर्दोष होने के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पर आमादा है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत का अनुतोष दिया जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा केस डायरी की विभिन्न कण्डिकाओं का उल्लेख करते हुए आवेदक अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत का घोर विरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार अभिकथन है कि घटना तिथि एवं समय को गस्ती के दौरान प्राप्त गुप्त सूचना पर कि एक पल्सर मोटरसाईकिल पर उजला रंग के बोरा में शराब लेकर दो लड़का चन्दौली के तरफ से आ रहा है, सूचक, साथ के अन्य पुलिस बल के साथ चेकिंग के दौरान घटना स्थल पर गया और एक बिना रजि0नं0 के मोटरसाईकिल पर सवार दो व्यक्ति, जो बोरा लिये थे, को रूकने का इशारा किया तो वे चकमा देकर भागने लगे, जिन्हें पिछा किया गया तथा घटना स्थल पर से मोटरसाईकिल चालक को पकड़ लिया गया, जबकि पिछे बैठा व्यक्ति मोटरसाईकिल से कुद कर भागने लगा और अंधेरा का फायदा उठा कर भागने में सफल हो गया। पकड़ाये व्यक्ति ने पूछने पर अपना नाम रजत सिंह बताया तथा उसकी एवं मोटरसाईकिल की विधिवत तलाशी ली गई तो आवेदक के पास से मोबाईल एवं मोटरसाईकिल पर रखे बोरा से छः कुट के कार्टून, जिसमें प्रत्येक कार्टून में

IN THE COURT OF Spl. Judge. Excise Court No.-II, KAIMUR AT BHABUA

Anticipatory Bail Petition N0. 576 of 2026

1. Shalu Singh @ Shalu Kumar S/o Putul Singh @ Manistar Singh, 2. Mallu Chaubey @Avishek Chaubey S/o Devendra Chaubey &
3. Rishu Kumar @ Rishu Singh S/o Pappu Singh @ Ashok Singh All R/o Vill.- Bheriya, P.S.- Durgawati, Distt.- Kaimur (Bhabua) -----------Petitioners.

Vers. State of Bihar

(Arising out of Durgawati P.S. Case No. 63 of 2026)

लगातार/ 05.05.2026 45–45 पीस 200 मि0ली0 के ब्ल्यू लाईम देशी शराब मसाला, कुल मात्रा 54.000 लीटर अवैध देशी शराब बरामद किया गया। पूछताछ करने पर अभियुक्त रजत सिंह के द्वारा भागने वाले व्यक्ति का नाम मल्लू चौबे (आवेदक अभियुक्त) तथा शराब कारोबारी, जो आगे–आगे लाईनर का काम कर रहे थे, उनका नाम रिषू सिंह(आवेदक अभियुक्त), शालू सिंह (आवेदक अभियुक्त) एवं उत्तम कुमार बताया गया तथा बताया गया कि सभी पॉचों लोग मिलकर शराब ला रहे थे, जिसका वे क्रय–विक्रय करते हैं।

केस डायरी में दर्ज साक्षियों ने अपने–अपने बयान में अभियोजन कथित घटना एवं मौके से जप्त बिना रजि0नं0 के मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार अभियुक्त रजत सिंह (विधि विरूद्ध बालक) की गिरफ्तारी एवं जप्त मोटरसाईकिल पर लदे बोरा में कार्टून में रखा हुआ कुल 54.000 लीटर अवैध देशी शराब की बरामदगी की घटना का पूर्ण समर्थन किया है। आवेदक अभियुक्तगण का नाम मौके से गिरफ्तार अभियुक्त के बयान में आया है, जिसने बताया है कि आवेदक अभियुक्त मल्लू चौबे के साथ वह शराब ला रहा था और आवेदकगण रिषु और शालू तथा एक अन्य उत्तम लाईनर के रूप में काम कर रहे थे। केस डायरी की कण्डिका–53 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस मामले के गिरफ्तार अभियुक्त रजत सिंह के मोबाईल पर घटना से चंद मिनट पहले अभुिक्त उत्तम के मोबाईल से चंद मिनटों के अंतराल पर चार बार बातें हुई हैं। इस मामले में आवेदकगण के द्वारा अन्य प्राथमिकी अभियुक्तों के साथ एक नाबालिक बच्चे रजत सिंह का सहयोग अवैध शराब के परिवहन के लिए किया गया है। मामला अभी अनुसंधान के अधीन है। अपराध की प्रकृति गम्भीर है। *वहीं बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 76(2) अग्रिम जमानत को निषिद्ध भी करती है।*

अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आवेदक अभियुक्तगण ***शालू सिंह उर्फ शालू कुमार, 2. मन्लू चौबे उर्फ अभिषेक चौबे वं 3. ऋषु कुमार उर्फ ऋषु सिंह*** *की ओर से दाखिल प्रस्तुत अग्रिम जमानत का आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण* ***अस्वीकृत*** *किया जाता है।*

(लेखापित)

ह0/–बिपिन बिहारी राय

वि0न्या0उत्पाद–II

(बिपिन बिहारी राय)